

नियम 324 के अन्तर्गत श्री जगत सिंह नेगी , माननीय विधायक द्वारा उठाया गया  
मामला:-

“डाक्टरों की भर्तियां बारे”

व्याख्यात्मक टिप्पणी चर्चा उठाने हेतु:-

“मैं सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में काफी समय से डॉक्टरों की भर्तियां नहीं होने के कारण डॉक्टरों में उत्पन्न रोष की ओर दिलाना चाहता हूं; गत काफी समय से सरकार डॉक्टरों की भर्तियां करने हेतु समय-समय पर केवल अधिसूचनाएं ही जारी किए जा रही हैं परन्तु डॉक्टरों की भर्तियां नहीं की जा रही हैं जिसके कारण डॉक्टर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं; साथ ही साथ प्रदेश के बहुत से स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों डॉक्टरों की भर्तियों हेतु केवल अधिसूचना ही जारी करती हैं, भर्तियां नहीं करती है तथा जनहित में कब तक डॉक्टरों की भर्तियां कर दी जाएंगी।”

अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति इस प्रकार है:-

यह सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में काफी समय से डॉक्टरों की भर्तियां नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि विभाग में फरबरी, 2022 तक, हर मंगलवार को walk-in-interview आयोजित किये जाते थे व चिकित्सा अधिकारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्ति दी गई है। साथ ही वर्ष में दो बार तकरीबन 80 नए विशेषज्ञ चिकित्सकों (AIQ/Direct Quota) की तैनाती की जाती है और तकरीबन 80 पदधारी चिकित्सा अधिकारियों (GDO) की तैनाती की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण के दौरान प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ घर-द्वार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नई “मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक (M3C)” योजना की घोषणा की जोकि जल्द ही लागू कर दी जाएगी जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन , चालक व फार्मासिस्ट की तैनाती प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त हर 76 चिकित्सा खण्ड के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी प्रस्तावित है। इन सब के लिए, सरकार ने हाल ही में 300 चिकित्सा अधिकारियों के पद सृजित किए हैं जोकि अटल

मैडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचैक, मण्डी मे माध्यम भरे जायेंगे। अटल मैडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचैक, मण्डी ने इस संदर्भ में विज्ञापन भी जारी कर दिया है और शीघ्र ही इन रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

यह भी असत्य है कि प्रदेश के बहुत से स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों के 2691 सृजित पद हैं जिनमे से 2454 पद भरे हुए हैं तथा 237 रिक्त पद चिकित्सा अधिकारियों के उच्च शिक्षा अध्ययन, अवकाश, सेवानिवृत्ति व स्वाछिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पड़े हैं। हाल ही में 106 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस तरह अभी  $2454 + 106 = 2560$  चिकित्सक स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के 1514 , दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19, ANM के 348 तथा अलग-अलग श्रेणी के 320 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में 73 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 5 खंड चिकित्सा कार्यालय खोले गये हैं। प्रदेश में 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया गया है। 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन कर सिविल अस्पताल में तबदील किया गया है तथा 23 अस्पतालों की बेड क्षमता बढ़ाई गई है। विभाग में चिकित्सकों के 370 तथा फार्मासिस्ट के 147 पद सृजित किए गए हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के 630 स्वास्थ्य संस्थान हैं व वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 52 सिविल अस्पताल, 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 492 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं , जिसमें चिकित्सकों के 1175 सृजित पद हैं जिनमे से 855 भरे हुए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि 880 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति उप स्वास्थ्य केन्द्रों में करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही 780 आशा कार्यकर्ता को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा भरती प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में तय मापदण्डों के अनुरूप ही मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों में तय स्वीकृत व उपलब्ध स्टाफ व उपकरणों की उपलब्धता अनुरूप प्रदान की जा रही है।

\*\*\*\*\*